न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 16/2023

1. करनेलसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति खाती सिख निवासी चक 22 ए. जी. तहसील रावतसर हाल निवासी पिण्ड सुनेत नया शाम नगर लुधियाना तहसील व जिला लुधियाना।
2. जोरा सिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति खाती सिख निवासी चक 22 ए. जी. तहसील रावतसर हाल निवासी पिण्ड सुनेत राजगुरू नगर लुधियाना तहसील व जिला लुधियाना।
3. निरंजन सिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति खाती सिख निवासी चक 22 ए. जी. तहसील रावतसर हाल निवासी भुलर बुटर तहसील व जिला मोगा जरिये मुख्त्यारआम जसवन्त सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति खाती सिख हाल निवासी भुलर बुटर तहसील व जिला मोगा।
4. मेहरसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति खाती सिख निवासी चक 22 ए. जी. तहसील रावतसर 794 निउ बी. आर. एस. नगर लुधियाना तहसील व जिला लुधियाना ।

–अपीलान्टस

बनाम

1. लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति खाती सिख निवासी चक 22 ए. जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. बलवीरसिंह पुत्र गुरमेल सिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति खाती सिख हाल निवासी चक 22 ए. जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. जगसीरसिंह पुत्र आत्मासिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति खाती सिख हाल निवासी चक 22 ए.जी.तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. जगदीपसिंह पुत्र आत्मासिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति खाती सिख हाल निवासी चक 22 ए.जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. आत्मसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति खाती सिख हाल निवासी चक 22 ए. जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 18:00:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

6. गुरमेलसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति खाती सिख हाल निवासी चक 22 ए.जी.तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. उप पंजीयक कार्यालय रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पाडेन्टस

उपस्थितः– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांटस।
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6

निर्णय दिनांक– 03.04.2024

अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 13.06.2023 बअदालत तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़ द्वारा वसीयत दिनांक 24.11.2021, जो नियम विरूद्व है, के आधार पर मृतक स्वर्णसिंह पुत्र केहरसिंह की खातेदारी भूमि का नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 28.06.2023 को दर्ज व तस्दीक किया गया, को अपास्त करवाने बाबत् प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलान्ट के पिता अर्जनसिंह व चाचा स्वर्णसिंह दोनो सगे भाई थे। जिनके नाम चक 22 ए.जी. तहसील रावतसर के प.नं. 172/386 मु.नं. 40 के किला नं. 16 व 25/2 की 0.4810 हैक्टेयर भूमि अनकमाण्ड कृषि भूमि एवं प.न. 172/386 मु.नं. 40 के किला नं. 2/1 व 2/2 व 3/1, 3/2 व 4/1 व 4/2 व 5/1 व 5/2 किला नं. 6 ता 8 व 13 ता 15 व प.न. 173/386 मु.नं. 39 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1 व 2/2 व 3/1, 3/2 व 4/1 व 4/2 व 5/1 व 5/26/1 व 6/2 व 7 ता 14 की व 15/1 व 15/2 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. राजस्व रिकार्ड थी। अपीलान्ट सं. 1 ता 4 व रेस्पोडेन्टस सं. 5 व 6 के पिता अर्जनसिंह की मृत्यु के दिनांक 08.10.1976 को बुटरकला पंजाब व स्वर्ण सिंह की मृत्यु दिनांक 01.05.2022 को हुई थी। अर्जनसिंह की मृत्यु के समय उसके जायज वारिसान में पुत्र क्रमशः– करनेलसिंह, आत्मासिंह, निरंजन सिंह, जोरासिंह, गुरमेलसिंह, मेहरसिंह व एक पुत्री गुरमेलकौर कुल 7 वारिस थे। अपीलान्ट के चाचा स्वर्णसिंह अविवाहित थे। जिसकी मृत्यु दिनांक 01.05.2022 को होने के बाद हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अनुसूचि के वर्ग 32 के तहत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 5 व 6 अर्जनसिंह की सन्तान होने के कारण उसके वारिस हुए तथा उक्त प्रश्नगत भूमि में अपीलान्ट के चाचा स्वर्णसिंह को 3.403 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड कृषि भूमि में बाद फौतदगी स्वर्णसिंह अपीलान्ट का 4/6 हिस्सा यानि प्रत्येक का 0.4861 हैक्टर हिस्सा के हकदार व अधिकारी है। चुंकि अपीलान्ट अपने हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

व हिस्सा को रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 4 के पिता आत्मासिंह व गुरमेलसिंह इस अपील के रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 को हिस्सा ठेका पर काश्त करते हेतु देते थे। अपीलान्ट के चाचा स्वर्णसिंह समान रूप से अपीलान्ट के पास रहता था। स्वर्णसिंह की सेवा चाकरी अपीलान्ट समान रूप से करते थे तथा मृतक स्वर्णसिंह अपनी उक्त भूमि को अपने सभी वारिसों को अपनी इच्छा से देना चाहता था। जिसे हेतु एक वसीयत दिनांक 20.04.2006 को स्वर्णसिंह ने उप पंजीयक कार्यालय में रावतसर में उपस्थित होकर अपने हिस्सा की कृषि भूमि में से सभी वारिसान को अपनी ईच्छा से भूमि दी जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 के पिता को अपीलान्ट से ज्यादा भूमि दी गई यानि रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 का 0.886 हैक्टर व 0.862 हैक्टर भूमि दी थी तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 के पिता आत्मासिंह व गुरमेलसिंह यानि इस अपील के रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 लालची किस्म के व्यक्ति है तथा स्वर्णसिंह कुछ समय के लिए उनके पास रहने के कारण वर्ष 2021 में स्वर्णसिंह अत्याधिक बीमार थे तथा उनकी उम्र लगभग 93 वर्ष थे जिसके सोचने व समझने की शक्ति नहीं थी। जिसका फायदा उठाकर रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 4 ने स्वर्णसिंह के हिस्सा की सम्पूर्ण कृषि भूमि की वसीयत धोखाधड़ी पूर्वक तथा अपने असम्यक असर में स्वर्णसिंह को लेकर रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 4 के पक्ष में करवा ली तथा किला नं. 16 व 25/2 की भूमि का नामान्तरण फर्जी तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 ने स्वंय के नाम करवा ली। जिसका मुकदमा पुलिस थाना रावतसर में अपीलान्ट द्वारा एफ.आई.आर. सं. 382/2022 दर्ज करवाया गया है जिसमें अनुसंधान जारी है तथा रेस्पोडेन्टस लालची किस्म के व्यक्ति है तथा लालच वंश स्वर्णसिंह को अपने प्रभाव में लेकर धोखाघड़ी पूर्वक बिना उनकी स्वतंत्र इच्छा के स्वर्णसिंह के हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि की वसीयत रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 4 ने स्वंय के पक्ष में करवा ली वसीयत दिनांक 24.11.2021 अवैध फर्जी एवं कुटरचित व बिना मृतक स्वर्णसिंह की इच्छा के निष्पादित दस्तावेज है तथा जिस अपीलान्ट शुन्य घोषित करवाने हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय रावतसर में वाद जैरकार है रेस्पोडेन्टस सं. 5 च 6 जो अपीलान्ट के भाई है तथा अपने पिता अर्जनसिंह की मृत्यु के पश्चात अपने आपको अर्जनसिंह का वारिस दिखाते हुऐ चक 22 ए.जी. तहसील रावतसर की भूमि नामान्तरण सं. 40 दिनांक 11.06.1993 को अपने सगे भाई अपीलान्ट को वारिस ना दिखाते हुऐ करवा लिया था जिसने स्पष्ट रेस्पोडेन्टस की कृषि भूमि के [illegible] लालच में कितने गिर सकते है तथा अपीलान्ट को उक्त वसीयत दिनांक 24.11.2021 की जानकारी के बाद स्वर्णसिंह फौतदगी दिनांक 01.05.2022 हो होने के बाद अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस से वसीयत दिनांक 20.04.2006 के अनुसार कृषि भूमि का बंटवारा करने को कहा तो रेस्पोडेन्टस ने अपने पक्ष में उक्त वसीयत दिनांक 24.11.2021 दिखाई व अपीलान्ट को कहा कि सम्पूर्ण भूमि की वसीयत हमारे हक में है हम भूमि का नामान्तरण करवाकर भूमि को रहन/बैय कर खुर्द-बुर्द करेंगे तथा सिविल कोर्ट रावतसर में दावा पेश कर दिया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

एस.डी.ओ. कोर्ट रावतसर में वसीयत दिंक 20.04.2006 के आधार बंटवारा कर दावा जैरकार है जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 13.06.2022 के जैरकार है तथा रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 6 को समस्त हालात का पता है कि सिविल कोर्ट व राजस्व न्यायालय रावतसर में पक्षकारान के आपस में मुकदमें जैरकार है फिर भी रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजस्व रावतसर के पेश कर रेस्पोडेन्टस नं. 1 लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह कौम खाती सिख साकिन 22 ए.जी. तहसील रावतसर बाबत वसीयत अनुसार नामान्तरण दर्ज करने का प्रकरण सं. 12/2022 इस प्रकार से कि प्रार्थी लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरमेलसिंह कौम खाती सिख यानि 22 ए.जी. तहसील रावतसर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि स्वर्णसिंह पुत्र केहरसिंह कौम खाती सिख निवासी रावतसर तहसील रावतसर द्वारा अपनी कृषि भूमि चक 22 ए.जी. तहसील रावतसर के प.न. 172/386 व 173/388 की कुल 6.806 हैक्टर भूमि का 1/2 हिस्सा तहसील रावतसर की एक वसीयत उप पंजीयक रावतसर के समक्ष दिनांक 24.11.2021 को जगसीर सिंह, जगदीपसिंह पि. आत्मासिंह, बलवीरसिंह, लखविन्द्र सिंह पुत्रगण गुरमेलसिंह कौम खाती सिख निवासी चक 22 ए.जी. तहसील रावतसर के पक्ष में निष्पादित करवाई थी एवं वसीयतकर्ता की दिनांक 01.05.2022 को मृत्यु हो गयी है। निर्णय दिनांक 13.06.2023 जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 28.06.2023 को दर्ज व तस्दीक किया है, को अपास्त करवाने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 13.06.2023 बअदालत मातहत अदालत तथा उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक नामान्तरण सं. 328 दिनांक 28.06.2023 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री मदन मोहन जोशी एडवोकेट उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8 की रजिस्टर्ड डाक ए.डी. बाद तामिल प्राप्त। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट श्री विजयसिंह कड़वा[illegible] बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन [illegible] स्वर्णसिंह द्वारा दिनांक 24.11.2021 रेस्पोडेन्ट संख्या [illegible] जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 28.06.2023 भरा ग[illegible] जो विधि विरूद्ध एंव न्यायोचित नहीं है क्योंकि अपीलांट के चाचा स्वर्णसिंह द्वारा दिनांक 20.04.2006 को अपने भाई के वारिसान करनैलसिंह, आत्मासिंह, निरंजन सिंह, जोरासिंह, गुरमेलसिंह, मेहरसिंह, एंव गुरमेल कौर नाम वसीयत की गई। अतः दिनांक 24.11.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 18:00:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

4 के पक्ष में निष्पादित वसीयत कूटरचित एव फर्जी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 28.06.2023 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 श्री मदन मोहन जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि स्वर्ण सिंह द्वारा दिनांक 24.11.2021 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई। विवादित भूमि स्वर्णसिंह पुत्र केहर सिंह द्वारा स्वउपार्जित भूमि है। स्वउपार्जित भूमि की वसीयत भूमिधारक/सम्पति धारक द्वारा किसी के पक्ष में वसीयत कर सकता है। अपीलांट का कथन है कि स्वर्णसिंह पुत्र केहर सिंह द्वारा दिनांक 20.04.2006 को अपने भाई अर्जनसिंह के वारिसान करनैलसिंह, आत्मासिंह, निरंजन सिंह, जोरासिंह, गुरमेलसिंह, मेहरसिंह, एंव गुरमेल कौर के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई थी लेकिन वसीयतकर्ता की अन्तिम वसीयत ही मान्य होती है। इस हेतु निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–1. 2006-07(Supp.) RRT 59

स्वर्णसिंह पुत्र केहरसिंह द्वारा दिनांक 24.11.2023 को निष्पादित वसीयत में यह अंकन किया गया है कि "यह मिकर की अन्तिम वसीयत है और आज से पूर्व की गई वसीयत निरस्त व अमान्य समक्षी जावे"। अतः मातहत अदालत द्वारा दिनांक 28.06.2023 पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि स्वर्णसिंह पुत्र केहरसिंह द्वारा दिनांक 24.11.2021 को निष्पादित वसीयत में अंकन किया है कि"यह मिकर की अन्तिम वसीयत है और आज से पूर्व की गई वसीयत निरस्त व अमान्य समझी जावे"। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा स्वर्ण सिंह पुत्र केहरसिंह द्वारा दिनांक 24.11.2021 को निष्पादित वसीयत के अनुसार निर्णय दिनांक 13.06.2023 पारित किया गया एंव नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 28.06.2023 भरा गया है, जो न्यायालय के मत में सही एंव विधि सम्मत है। जिस पर दृष्टांत–2006-07(Supp.) RRT 59 पूर्णतया चस्पा होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2023 को पारित निर्णय में विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन किया गया है। पारित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा दिनांक 13.06.2023 पारित निर्णय एंव नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 28.06.2023 को बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर मियाद से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 3.6.2024 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested